

आयकर अपीलीय अधिकरण ,इन्दौर न्यायपीठ ,इन्दौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 86/इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2007-08

| | | |
|------------------------------|------|---|
| आयकर उपायुक्त 1(1), इंदौर | बनाम | मे. पिथमपुर पॉली प्रोडक्टस् लिमिटेड, इंदौर |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.-एएबीसीपी 2017 जे | | |

| | |
|--------------------|---|
| राजस्व की ओर से | श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
| अपीलार्थी की ओर से | सर्वश्री अनिल कमल गर्ग तथा अर्पित गौर, सीए |
| सुनवाई तिथि | 04.08.2021 |
| उद्घोषणा तिथि | 01.09.2021 |

आदेश

श्री मनीष बोरड ,लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2007-08 से संबंधित राजस्व की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर (संक्षिप्त में आ.आ(अ)) के आदेश दिनांक 27.11.2019 के विरुद्ध निदेशित है जो सहायक आयकर आयुक्त 1(2), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 28.03.2014 से उद्भूत है ।

2. इस अपील में राजस्व द्वारा लिए गए आधार का सार निम्न निम्न रूप से है :

क्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा विधि के अनुसार, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई आय पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति हटाने में न्यायसंगत था ?

3. हमारे समक्ष, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश पर निर्भरता रखते हुए निवेदन किया कि अधिरोपित शास्ति विधि के अनुसार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के उपबंधों के अनुसार शास्ति या तो आय के विवरण छिपाने या आय के गलत विवरण दाखिल करने के लिए आरंभ की जा सकती है, जबकि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के विरुद्ध कोई आरोप अभिलिखित नहीं किया है कि क्या शास्ति 'आय के गलत विवरण दाखिल करने या आय के विवरण छिपाने' के लिए अधिरोपित की गई है। अतः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने माननीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के पीसीआईटी बनाम कुलवंत सिंह भाटिया के प्रकरण में आ.अ.सं. 9/2018 में निर्णय दिनांक 9.5.2018 का अनुसरण करते हुए शास्ति उचित रूप से हटाई है। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने इंदौर अधिकरण के वरद मेहता आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.12.2018 पर भी निर्भरता रखी।

4. दूसरी ओर विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए सशक्त रूप से तर्क किए।

5. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने शास्ति के अधिरोपण हेतु कोई आरोप अर्थात् क्या शास्ति कार्यवाही आय के विवरण छिपाने के लिए आरंभ की गई है या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए

आरंभ की गई है, विनिर्दिष्ट किए बिना शास्ति कार्यवाही अनुचित रूप से आरंभ की है। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई है कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन जारी नोटिस में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया है कि किस आरोप पर शास्ति कार्यवाही आरंभ की गई है।

6. इस तथ्य की जांच करने के लिए हमने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति कार्यवाही आरंभ करने हेतु 23.12.2009 को जारी आक्षेपित नोटिस का अध्ययन किया है।

7. कथित कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट आरोप अर्थात क्या शास्ति आय के विवरण छिपाने के लिए आरंभ की गई है या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए आरंभ की गई है यह उल्लिखित नहीं किया गया है। हमारे समक्ष वरद मेहता के प्रकरण में आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 दिनांक 06.12.2018 (उपरोक्त) प्रकरण में समान मुद्दा न्यायनिर्णयन हेतु आया था जिसमें हमने यह मुद्दा माननीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के श्री कुलवंत सिंह भाटिया (उपरोक्त) प्रकरण में स्थापित अनुपातों का अनुसरण करके निर्धारिती के पक्ष में निर्णयित किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम मंजुनाथ कॉटन जिनिंग फैक्टरी (2013) 359 आईटीआर 565 (कर्ना) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम एसएसएज(SSA'S) एमरल्ड मिडोज (2016) 73 टैक्समेन डॉट कॉम 248 (एससी) प्रकरण में निर्णय पर चर्चा करते हुए निम्न रूप से अभिधारित किया था -

" प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर उचित रूप से विचार करने पर, इसी तरह इस तथ्य पर भी विचार करने पर कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आधार विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगा क्योंकि नोटिस विनिर्दिष्ट नहीं था, हमारा मत है कि विद्वान अधिकरण ने आयकर आयुक्त बनाम मंजुनाथ कॉटन

जिनिंग फैक्टरी (उपरोक्त) तथा आयकर आयुक्त बनाम एसएसएज (SSA'S) एमरल्ड मिडोज (उपरोक्त) निर्णय पर उचित रूप से निर्भरता रखते हुए निर्धारिती की अपील उचित रूप से स्वीकृत की है तथा प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति आदेश अपास्त किया है ।"

9. अतः. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों का आदरपूर्वक अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के विधिक आधार पर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति हटाने के निष्कर्ष में कोई कमी नहीं पाते हैं तथा एतद् द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं ।

10. इसके अलावा, गुणागुण पर भी राजस्व सफल नहीं हो पायेगा क्योंकि परिवर्धन जिनके आधार पर शास्ति अधिरोपित की गई हैं, वे प्राक्कलन आधार पर किए गए हैं । परिवर्धनों का मुख्य घटक व्यापारिक (trading) परिवर्धन है जो निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल लाभ दर 52.09% लागू करते हुए प्राक्कलित किए गए हैं । पूर्ववर्ती तीन वर्षों में निर्धारिती का औसत लाभ 35.73% है तथा इस अधिकरण ने आ.अ.सं. 208 तथा 209/इंदौर/2013 में आदेश दिनांक 07.06.2018 के द्वारा सकल लाभ परिवर्धन 40% का दर लागू करते हुए कायम रखे हैं । विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा यह स्थापित अनुपात है कि यदि शास्ति अधिरोपित करने का आधार ही प्राक्कलित है तथा यह अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा और घटाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में निर्धारिती द्वारा आय छिपाने या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करना अभिधारित नहीं किया जा सकता । अतः, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के इस प्रकरण को गुणागुण पर न्यायनिर्णयित करते हुए धारा 271(1)(सी) के अधीन अधिरोपित शास्ति को हटाने के निष्कर्ष में कोई कमी नहीं पाते हैं । इस प्रकार, राजस्व की अपील का यह आधार गुणागुण पर भी खारिज किया जाता है । अतः निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व की अपील खारिज की जाती है ।

11. परिणामतः राजस्व की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 01.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(राजपाल यादव)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 01.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल